



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 जनवरी, 2004 ई0
पौष 18, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 492/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 08 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को दिनांक 06-01-2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 24, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 24, सन् 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) के संशोधन हेतु

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार एवं
प्रारम्भ

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 2 का संशोधन

धारा 4-ख का संशोधन

धारा 10 में संशोधन

धारा 10-ख में संशोधन

धारा 13-क का संशोधन

निरसन और अपवाद (अध्यादेश संख्या 07, वर्ष 2003)

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ख) में, शब्द "संयुक्त कमिश्नर या उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "या संयुक्त-कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 4-ख की, उपधारा (4) के खण्ड (तीन) में, शब्द "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

5. मूल अधिनियम की धारा 10-ख की, उपधारा (1) में, "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 13-क की, उपधारा (6) में, "सहायक-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "उप-कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

7. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhinyam Sankhya 24 of 2003) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 06-01-2004.

No. 492/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, January 08, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH TRADE TAX ACT, 1948)
(ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002)
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT NO. 24 OF 2003)

for amendment of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948)
(Adaptation and Modification Order, 2002)

AN

ACT

It is HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title,
Extent and
Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002). (Hereinafter referred to as the principal Act) in clause (b) for the words "A Joint Commissioner or a Deputy Commissioner" the words "or a Joint Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 2 of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002)
3. In section 4-B of the principal Act in sub-section(4), in clause III for the words "Deputy Commissioner" the words "Joint Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 4-B
4. In section 10 of the principal Act in sub-section (1), in clause (b), for the words "Deputy Commissioner" the words "Joint Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 10
5. In section 10-B of the principal Act in sub-section (1), for the words "Deputy Commissioner" the words "Joint Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 10-B
6. In section 13-A of the principal Act in sub-section (6), in for the words "Assistant Commissioner" the words "Deputy Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 13-A
7. (1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Second Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed. Repeal and Savings (Ordinance No. 7 of 2003)
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the ordinance referred in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
BHAROSI LAL,
Secretary.